न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 1/2024 निर्णय दिनांकः– 12-05-26
(जीसीएमएस संख्या 2024/9)

1. श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी चक 235 आरडी, पीपेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्व. रामनारायण पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी नाथवाना तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (फौत)

1/1 उमा पत्नी
1/2 सोहनलाल पुत्र
1/3 आईदान पुत्र
1/4 सीता पुत्री
1/5 गीता पुत्री
1/6 विमला पुत्री
} स्व. रामनारायण पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी नाथवाना तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

1/7 स्व. शंकरलाल पुत्र स्व. रामनारायण जाति नाई निवासी नाथवाना तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (फौत)

1/7/1 सुन्दर देवी पत्नी
1/7/2 सहीराम पुत्र
1/7/3 छोटूराम पुत्र
1/7/4 तुलछी पुत्री
1/7/5 निर्मला पुत्री
} स्व. शंकरलाल पुत्र स्व. रामनारायण जाति नाई निवासी नाथवाना तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

2. हरकौरी पत्नी केसुराम जाति कुम्हार निवासी चक 235 आरडी, पीपेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14–08–2023
उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री गिरधारी लाल रामावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री अशोक सियाग, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 14–08–2023 जिसके द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्मालपेच में किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि चक 235–500 आरडी के मु नं 106/32 के किला नं 14, 16/1, 17 ता 20. किला नं 21/1, किला नं 22/2, किला में 23/1, किला नं 24/2 व किला नं 25/4 कुल तादादी 2.6302 हेक्टर (10 बीधा 8 बिस्वा) भुमि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हैं। इसी चक व मु नं 106/32 में किला नं 5. 6. 15 तादादी 2.17 बीघा भूमि अराजीराज स्थित हैं। इसके साथ ही इसी चक के इसी मु नं 106/32 में किला नं 1 ता 4.7 ता 13 तादादी 12 बीधा भुमि अपीलान्ट की सास हरकौरी पत्नि केसूराम के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त में हैं। उक्त अराजीराज, भूमि भी अपीलान्ट के कब्जे काश्त चली आ रही हैं। वादगत भुमि स्मालपेंच श्रेणी की अपीलान्ट की खातेदारी भुमि के मुरब्बे में ही स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त वादगत भुमि मु नं 106/32 के किला नं 5, 6, व 15 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। क्योंकि रेस्पोडेन्ट नं 1 की खातेदारी कृषि भूमि 106/40 में स्थित हैं। मु नं 106/32 व 106/40 के मध्य कटानी रास्ता भी स्थित हैं। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के साथ साठ–गाठ कर उक्त भुमि का स्माल पेंच श्रेणी में आंवटन अपने पक्ष में करवा लिया। उपरोक्त स्माल पेच भुमि को अपीलान्ट ही प्राथमिकता के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आधार पर एवं कानूनी तरीके से प्राप्त करने के हकदार थी व हैं। क्योंकि वादगत स्माल पेंच भुमि अपीलान्ट के ही मुरब्बा नम्बर में स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर जानबुझकर गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया हैं। स्माल पेंच भुमि आंवटन करवाने के सम्बन्ध में कानुन का मान्य सिद्वान्त हैं कि स्माल पेंच अराजीराज भुमि प्राथमिकता के आधार पर उसी मुरब्बा नम्बर, जिसमें स्माल पेंच भुमि स्थित हैं, उसे आंवटन की जायेगी। जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं 1 की खातेदारी भुमि अन्य मुरब्बा नम्बर 106/40 में स्थित हैं तथा मुरब्बा नं 106/32 व 106/40 के मध्य कटानी रास्ता स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर गौर किये बना, रेस्पोडेन्ट नं 1 को नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से आदेश जेर अपील पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई विधिक नोटिस नहीं दिया। ना ही नोटिस की विधिवत् रूप से अथवा व्यक्तिगत तौर पर तामिल करवायी गई हैं। नोटिस को बिना आदेश चस्पा कर तामिल की कार्यवाही को पूर्ण होना बताया गया हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से भी स्पष्ट हैं कि नोटिस को चस्पानगी से तामिल करवाने के कोई आदेश ही नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई भी नोटिस अपीलान्ट के निवास स्थान पर चस्पा नहीं किया गया हैं। सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर सम्पन्न की गई हैं। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है। उपरोक्त स्माल पेंच भुमि को आंवटन करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा भी दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर तत्कालिन आंवटन अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का से रिर्पोट भी तलब की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र आज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैड़िग हैं। जिसकी भलीभांति जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी हैं लेकिन फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादगत भुमि को स्माल पेंच में आंवटन करवाया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया हैं। जिससे अपीलान्ट प्रिज्युडिश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 Clean Hand से उपस्थित नहीं हुआ था। तथ्यों को छिपाकर एवं साजिस पूर्ण तरीके से आंवटन आदेश प्राप्त किया हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016–17 पेज 302, आरआरटी 2018–19 पेज 66 प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। वादगत भुमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हैं तथा अपीलान्ट के ही मु.नं 106/32 में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आदेश जैर अपील को अब तक छिपाये रखा। दिनांक 27.12.2023 को रेस्पोडेन्ट नं 1 अपीलान्ट के पास आया और अपीलान्ट को ऐलानिया धमकी दी कि वादगत भुमि से अपना कब्जा हटा ले क्योंकि उक्त भुमि उसने स्माल पेंच में आंवटन करवा ली हैं। तब आंवटन पत्रावली की खोजबीन कर, आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.12.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, बाद तैयारी नकल दिनांक 29. 12.2023 को प्राप्त हुई तब आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 30.12. 2023 व 31.12.2023 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण तथा रूपयें आदेश की व्यवस्था कर अपीलान्ट बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत कर रही हैं। आदेश जैर अपील अवैध, इलिगल एवं Void होने से मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर 4

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता/पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक नम्बर 235–500 आर.डी. के मु०न० 106/32 के कि०न० 5,6, व 15, की 3 बीघा कमाण्ड रकबा का आवंटन बतौर स्मालपेच में किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता/पति को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के आवंटन से पूर्व तहसील राजस्व लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के नियम 14ए की पालना करते हुए सम्पूर्ण राशि खजानाराज में जमा करवाने पर आवंटन आदेश जारी किया गया है। वादग्रस्त आराजी अराजीराज नही है, रेस्पोडेन्टस की खातेदारी भूमि है और रेस्पोडेन्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त मुरब्बा रेस्पोडेन्ट के मुरब्बे के एकदम चिपता मुरब्बा है और इसके बीच में कोई रास्ता नही है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु कभी कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन की पूर्ण पालना करते हुए आवंटन किया गया है। स्मालपेच में भूमि आवंटन हेतु कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्राथमिकता निर्धारित नही है नियमानुसार स्मालपेच रकबे के पास वाला काश्तकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है यदि नही करता है तो उसी चक के काश्तकार को उसके अभाव में पड़ौसी चक के काश्तकार को स्मालपेच में आवंटन किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट के पिता/पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से पूर्ण मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए निकटतम काश्तकारो को नोटिस जारी किये गये थे। बावजूद नोटिस अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता/पति को किया गया। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2014 पेज 249, आरबीजे 2005(2) पेज 260, आरबीजे 2005 पेज 260, आरआरडी 1994 पेज 356, आरआरडी 1998 पेज 658 प्रस्तुत किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर जवाब बहस में कथन किये कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा कथन किया है कि नोटिस की विधिवत तामील नही करवाई नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया है। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था जिस पर अपीलांट ने नोटिस लेने से इंकार किये जाने पर दो गवाहान की उपस्थिति में नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया। नोटिस में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया था। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही थी। धारा 5 मियाद अधिनियम में जो तथ्य अंकित किये है वह गलत है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–08–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 04–01–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि प्रकरण में उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष हाजिर आ चुके है। जहॉ प्रकरण में उभय पक्ष हाजिर हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर किये जाने की अपेक्षा गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

ए– क्या अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत भूमि के चिपते काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट की विधिवत तामील करवाई गई थी अथवा नही?

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी चक नम्बर 235–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 106/32 के किला नम्बर 5,6, व 15, की 3 बीघा कमाण्ड में स्थित है। अपीलांट की भूमि चक 235–500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 106/32 के में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 235–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 106/40 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट की भूमि के मुरब्बा नम्बर 106/40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 आवंटन योग्य आराजी के चिपता हुआ है। इस स्थिति में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो की भूमि प्रश्गत भूमि के चिपती हुई स्थित है। अपीलांटकी भूमि समान मुरब्बे में है जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि चिपते हुए मुरब्बे में है।

जब दोनो की भूमि प्रश्नगत भूमि के चिपती हुई है तो यह देखा जाना है कि दोनो में से वरियता किसे दी जावे। इस हेतु नियम 14 का अवलोकन किया गया–

राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार **"Notwithstandin anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."

उपर्युक्त प्रावधान अनुसार यद्यपि प्रथम वरियता समान मुरब्बे के चिपते खातेदार की बनती है परन्तु यदि समान मुरब्बे का चिपता काश्तकार अथवा अन्य कोई चिपता काश्तकार भूमि आवंटन नही करवाना चाहे तो चिपते हुए अन्य चक के खातेदार को भी भूमि आवंटन किया जा सकता है। जबकि इस प्रकरण में तो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो की भूमि एक ही चक में स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नगत आराजी का चिपता काश्तकार अपीलांट था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन की प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए अपीलांटा सरोजदेवी पत्नी सोहनलाल को अपने पत्र कमाक 1231 दिनांक 21–07–2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। अपीलांटा के घरवालो ने उक्त नोटिस लेने से मना कर दिया जिस पर दो गवाहान की मौजूदगी में नोटिस की प्रति मकान पर चस्पा की गई। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक सूचना के उपरान्त भी अपीलांट आवंटन हेतु उपस्थित नही हुआ।

जब अपीलांट प्रश्नगत भूमि को आवंटिन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही आवेदन शेष रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त करते हुए वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने, भूमि बाबत कोई स्थगन, विवाद नही होने पर वादगत भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर का निर्णय दिनांक 14–08–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12-05-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर